

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499] No. 499] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ ज्येष्ठ 29, 1939

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/ JYAISTHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2017

सं.1/2017-एकीकृत कर

सा.का.नि.603(अ).—केन्द्रीय सरकार एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जून, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 14, धारा 20 और धारा 22 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 349/72/2017-जीएसटी]

डा .श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2017

No. 1/2017 – Integrated Tax

G.S.R. 603 E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government hereby appoints the 22nd day of June, 2017, as the date on which the provisions of sections 1, 2, 3, 14, 20 and 22 of the said Act shall come into force.

[F. No. 349/72/2017-GST]

DR. SREEPARVATHY.S.L., Under Secy.

3808 GI/2017 (1)